# फर्द अहकाम
## कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

आधार हाउसिंग फाईनेन्स लि0 शाखा राजसमंद

**– प्रार्थी / प्रतिभूति लेनदार**

**बनाम**

1– श्री मुरलीदास वैष्णव (ऋणी)
पता– (1) गॉव–गुन्जोल,तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद–313301
(2) मै0 जय मॉ बांकिया रानी एन्टरप्राईजेज, गॉव–गुन्जोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद–313301

2– श्रीमती गोपाली देवी (सह–ऋणी)
पता– गांव–गुन्जोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द(राज0)– 313301

**– विपक्षी / ऋणी / सह–ऋणी**

**किस्म मुकदमा**– प्रार्थना पत्र सिक्यूटराईजेशन **पत्रावली संख्या 25 / 2018**

| क्रमांक | कार्यवाहिक विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 14.02.2019**<br><br>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी आधार हाउसिंग फाईनेन्स लि0 शाखा राजसमंद ने दिनांकः 19.12.2018 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।<br><br>प्रार्थी आधार हाउसिंग फाईनेन्स लि0 शाखा राजसमंद से दिनांकः 31.05.2016 को विपक्षी 1–श्री मुरलीदास वैष्णव (ऋणी) पता–(1)गॉव–गुन्जोल ,तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद–313301(2)मै0 जय मॉ बांकिया रानी एन्टरप्राईजेज, गॉव–गुन्जोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद–3133012– श्रीमती गोपाली देवी (सह–ऋणी) पता– गांव –गुंन्जोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द(राज0)– 313301 द्वारा 583371 / – गृह ऋण स्वीकृत करवाये गये जो विपक्षी के द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की गयी। दिनांकः 10.09.2018 को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 के तहत नोटिस जारी कर 621192 / – बकाया बनती हैं, वह राशि विपक्षी द्वारा जमा नहीं करायी गयी। वसूली हेतु जारी किये गये नोटिस धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 के तहत विपक्षी की रहनशुदा सम्पत्ति जो ग्राम गुन्जोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद में स्थित हैं जिसका क्षेत्रफल 1238 वर्गफीट होकर आवासीय मकान के पड़ौस पूर्व में तुलसीराम का बाड़ा, पश्चिम में हीरा पिता डूंगाजी का मकान, उत्तर में देवा पिता लालुजी गाडरी तथा दक्षिण में आम रास्ता व देवरा स्थित हैं, उक्त मकान का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। साथ ही प्रार्थी के अधिवक्ता ने मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित | |

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट

आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 का उद्धरण पेश करते हुए निवेदन किया कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं तथा यह भी निवेदन किया कि 2016 में उक्त अधिनियम में संशोधन करते हुए 30 दिवस में प्रकरण का निस्तारण करने एवं अधिकतम 60 दिवस में आदेश पारित करने के आज्ञापक प्रावधान किया गया हैं, इसलिए इस प्रकरण का शीघ्र निस्तारण कराना फरमावें।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 के नोटिस दिनांकः 10.09.2018 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी एवं दैनिक अखबार प्रातःकाल व इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांकः 03.10.2018 को नोटिस का प्रकाशन करवाया गया जिसकी प्रति पेश की गयी।

आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी आधार हाउसिंग बैंक लि0 शाखा राजसमंद द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार विपक्षी ऋणी/गारण्टर श्री मुरलीधर पिता ईश्वरदास वैष्णव का रहनशुदा सम्पत्ति जो ग्राम गुन्जोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद में स्थित हैं जिसका क्षेत्रफल 1238 वर्गफीट होकर आवासीय मकान के पड़ौस पूर्व में तुलसीराम का बाड़ा, पश्चिम में हीरा पिता डूंगाजी का मकान, उत्तर में देवा पिता लालुजी गाडरी तथा दक्षिण में आम रास्ता व देवरा स्थित हैं।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त आवासीय मकान का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी आधार हाउसिंग बैंक लि0 के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी आधार हाउसिंग बैंक लि0 को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द (राज.)